भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2883
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 18 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

एचएमटी इकाइयों का पुनरुद्धार

2883. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एचएमटी की कितनी इकाइयां है;

(ख) अब तक एचएमटी की कितनी इकाइयां चल रही हैं/बंद हो गई हैं;

(ग) अब तक इसमें कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है; और

(घ) भविष्य में एचएमटी की इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): भारत में एचएमटी की 17 इकाइयां हैं। एचएमटी लि. (धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनियों का इकाई-वार ब्यौरा निम्नवत है:

कंपनी का नाम	इकाइयों की संख्या	इकाइयों की अवस्थिति
एचएमटी लिमिटेड	3	1. पिंजौर 2. हैदराबाद 3. औरंगाबाद
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	6	1. पिंजौर 2. कलामसेरी 3. हैदराबाद 4. अजमेर 5. बैंगलौर में दो इकाइयां
एचएमटी वाचिज लिमिटेड	4	1. बैंगलौर में दो इकाइयां 2. टुमकुर 3. रानीबाग
एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड	2	1. जम्मू 2. श्रीनगर
एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	1	1. हैदराबाद
एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	1	1. बैंगलौर

(ख): उपर्युक्त इकाइयां प्रचालनरत हैं और इनमें से किसी भी इकाई को बंद नहीं किया गया है।

(ग): वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक उपर्युक्त इकाइयों के कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस हेतु मुहैया कराई गई बजटीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:-

कंपनी का नाम	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें वीआरएस दी गई
एचएमटी लिमिटेड	5.13	51
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	46.81	436
एचएमटी वाचिज लिमिटेड	103.43	675
एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड	83.68	586
एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	10.00	104
एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	--	2

एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए एक वीआरएस प्रस्ताव भी आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदन हेतु तैयार कर लिया गया है।

(घ): एक पुनरुद्धार प्रस्ताव अप्रैल, 2013 में एचएमटी लिमिटेड के लिए और फरवरी, 2014 में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

****